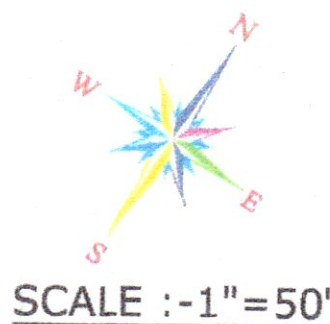


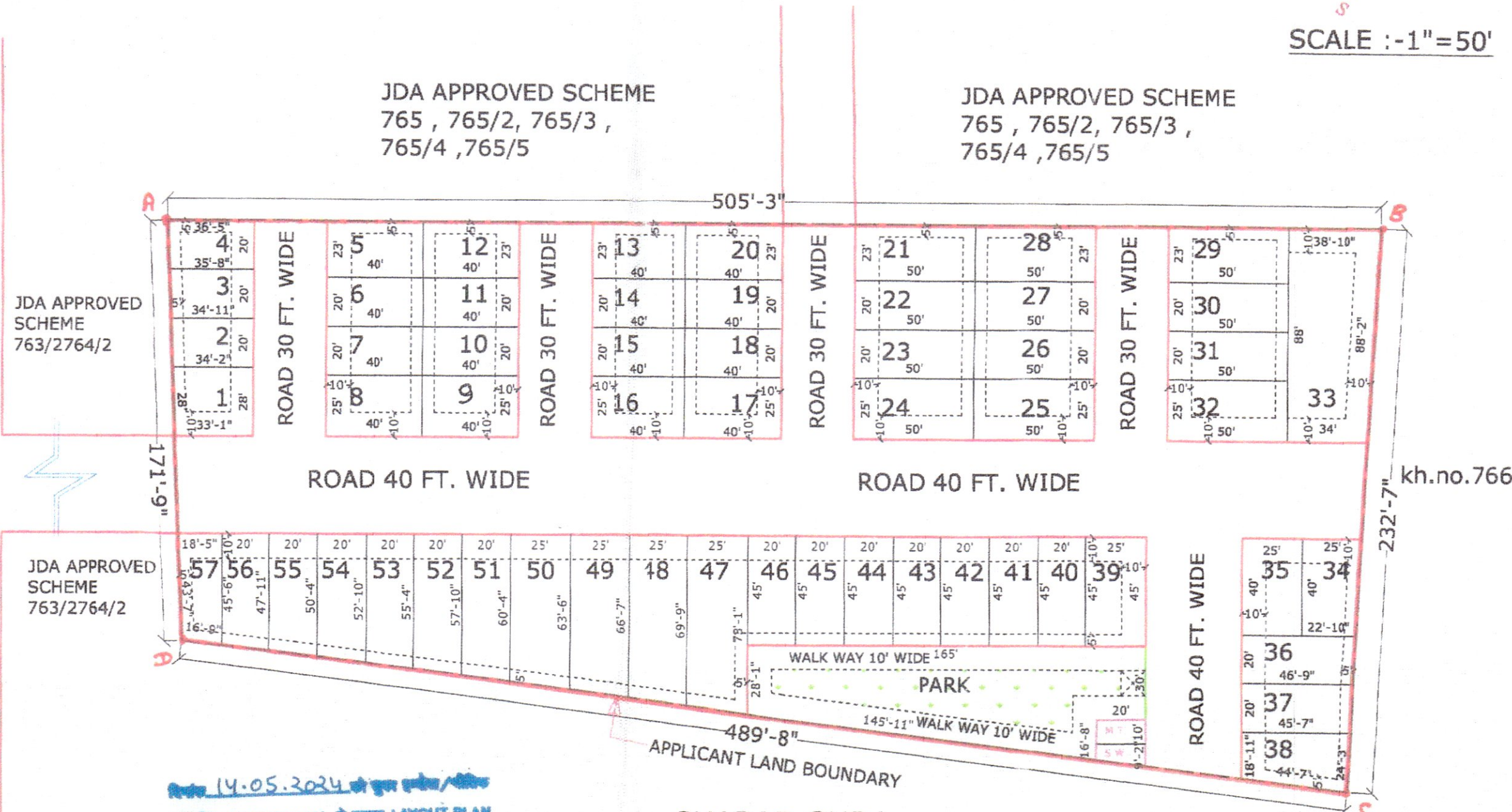
"SHIDDI VINAYAK- NAGAR"

LAY OUT PLAN ON KHASRA NO. 765/1 OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR



SCALE :- 1"=50'

ROAD 100 FT. WIDE



दिनांक 14.05.2024 को कुल हस्ताक्षर/सिद्धि
उपस्थित LAYOUT PLAN से प्रत्यक्ष LAYOUT PLAN
का निरीक्षण कर सीमाओं को ताल स्थायी से सिद्ध A से
D मार्क किया गया।

SHARAD GUDA

मंगल 12/12/24

LAND USES ANALYSIS

PLOT NO.	SQ.FT.	SQ.YDS.	SQ.MTR.	PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
1	941.43	104.6	87.46	TOTAL PLOT AREA	6617.07	59.44 %
2	690.40	76.71	64.14	PARK AREA	671.16	06.03 %
3	705.34	78.37	65.53	M.T./S.W.D. AREA	40.09	00.36 %
4	721.08	80.12	66.99	ROAD AREA	3803.68	34.17 %
5	919.98	102.22	85.47	TOTAL SCHEME AREA	11132.00	100.00 %
6	800.00	88.89	74.32	Area in Bigha = 5 BIGHA, 15 BISHWA		
7	800.00	88.89	74.32	Khasra Map		
8	1000.00	111.11	92.90	KEY PLAN		
9	1000.00	111.11	92.90	GOOGLE MAP OF KHASRA NO. 765/1 OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR		
10	800.00	88.89	74.32			
11	800.00	88.89	74.32			
12	920.00	102.22	85.47			
13	920.00	102.22	85.47			
14	800.00	88.89	74.32			
15	800.00	88.89	74.32			
16	1000.00	111.11	92.90			
17	1000.00	111.11	92.90			
18	800.00	88.89	74.32			
19	800.00	88.89	74.32			
20	920.00	102.22	85.47			
21	1150.00	127.77	106.83			
22	1000.00	111.11	92.90			
23	1000.00	111.11	92.90			
24	1250.00	138.89	116.13			
25	1250.00	138.89	116.13			
26	1000.00	111.11	92.90			
27	1000.00	111.11	92.90			
28	1150.00	127.77	106.83			
29	1150.00	127.77	106.83			
30	1000.00	111.11	92.90			
31	1000.00	111.11	92.90			
32	1250.00	138.89	116.13			
33	3205.71	356.19	297.83			
34	956.16	106.24	88.83			
35	1000.00	111.11	92.90			
36	945.18	105.02	87.81			
37	923.22	102.58	85.77			
38	970.29	107.81	90.14			
39	1125.00	125.00	104.52			
40	900.00	100.00	83.61			
41	900.00	100.00	83.61			
42	900.00	100.00	83.61			
43	900.00	100.00	83.61			
44	900.00	100.00	83.61			
45	900.00	100.00	83.61			
46	900.00	100.00	83.61			
47	1783.91	198.21	165.73			
48	1704.79	189.42	158.38			
49	1626.10	180.68	151.07			
50	1547.71	171.97	143.79			
51	1181.73	131.3	109.79			
52	1131.57	125.73	105.13			
53	1081.40	120.16	100.47			
54	1031.24	114.58	95.81			
55	981.52	109.06	91.19			
56	934.07	103.79	86.78			
57	779.06	86.56	72.38			
TOTAL	59553.63	6617.07	5532.70			

JDA/गिर(P)/Z-02/12/12/24

एजेण्डा संख्या 01 (राजकाज सं. 02196) (बैठक दिनांक 10.10.2024) :-

जोन-02

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	159 / 23.09.2022
2.	आवेदक का नाम	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री कवूराम
3.	राजस्व ग्राम	झालामण्ड
4.	खसरा संख्या	765/1
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	9307.76 वर्गमीटर
6.	प्राप्ति द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- - प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध हो रहे 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जाये। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्राप्ति की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाये। - आवेदित भूमि के मानचित्र/ले-आउट प्लान पर नियमानुसार सेटबैक का अंकन करते हुए जारी किए जाने की सुनिश्चितता की जाये। अन्य उपयोगों की ओर प्रस्तावित पार्क व खुला क्षेत्र की भूमि में पार्क डिजाइन के तहत 03 मीटर आन्तरिक पार्थ-वे (Walk-way) दर्शाया जाये। - राजस्थान टाउनशिप पोलिसी-2010 व उक्त के कम में समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जाये। - मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 हे० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जाये। - रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेशा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्राप्ति स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जाये। - अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमांडेशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सेटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाये। - प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।	

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
22, 23rd Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg. No. C.T.P. RAJNAGAR MITRA 2021 (861) 670